के. दुरैसामी एवं अन्य

बनाम

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

23 जनवरी, 2001

[माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए.एस. आनंद, न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी तथा न्यायमूर्ति दोरईस्वामी राजू]

भारत का संविधान, 1950 : अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4)

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम – सीटों का आरक्षण – सेवारत तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थी – वर्गीकरण की वैधता – सरकारी आदेश द्वारा सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थियों अथवा मुक्त वर्ग के लिए 50% सीटें निर्धारित – दोनों वर्गों में चयन योग्यता के आधार पर – प्रत्येक विशेषज्ञता में उपलब्ध सीटों में से 50% सीटें विशेष रूप से सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित – केवल निर्दिष्ट श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों को ही सेवारत अभ्यर्थी मानकर उनके लिए आरक्षित 50% सीटों पर विचार किया जाना था – सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा सीटों के आवंटन की पद्धति को चुनौती – एकल न्यायाधीश द्वारा याचिकाएँ स्वीकार – अभिनिर्धारित कि पहले सेवारत एवं गैर-सेवारत दोनों वर्गों से योग्यता के आधार पर चयन किया जाए तथा तत्पश्चात सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 50% सीटें उन सेवारत अभ्यर्थियों से भरी जाएँ जिन्हें मुक्त वर्ग की 50% सीटों पर चयन प्राप्त न हुआ हो – किन्तु पूर्ण पीठ द्वारा अपीलें निरस्त – अभिनिर्धारित : सरकार को यह निर्णय करने का अधिकार एवं शक्ति है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश किन स्रोतों से तथा किस अनुपात में किया जाएगा – सरकार सेवारत तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पृथक कोटा निर्धारित कर सकती है – सेवारत तथा

गैर-सेवारत अभ्यर्थियों का वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) अथवा 16(4) की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता – अतः स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सेवारत तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पृथक एवं निश्चित कोटा निर्धारित करने वाली चयन योजना वैध है।

सरकारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 1999-2000 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में योग्यता के आधार पर 50% सीटें निर्धारित की गई थीं। साथ ही यह भी उपबंधित किया गया था कि प्रत्येक विशेषज्ञता में उपलब्ध सीटों में से 50% सीटें विशेष रूप से सेवारत अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएँगी। उक्त सरकारी आदेश में विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा अधिकारियों का उल्लेख किया गया था और केवल उन्हीं को सेवारत अभ्यर्थी माना जाना था तथा सेवारत अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से आवंटित 50% सीटों के विरुद्ध उनके चयन पर विचार किया जाना था। शेष 50% सीटों को मुक्त वर्ग कहा गया था और उन सीटों के लिए सभी गैर-सेवारत चिकित्सा अधिकारी आवेदन करने के पात्र थे।

अपीलकर्ता सेवारत अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कर सेवारत तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के मध्य सीटों के आवंटन की पद्धति को चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाएँ स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 50% सीटों को प्रभावी बनाने हेतु प्रथम चरण में सेवारत तथा गैर-सेवारत दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके पश्चात सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 50% सीटें उन सेवारत अभ्यर्थियों से भरी जानी चाहिए जिन्हें मुक्त वर्ग के अंतर्गत निर्धारित 50% सीटों पर योग्यता के आधार पर चयन प्राप्त नहीं हुआ हो। किन्तु उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपीलें निरस्त कर दीं। इसी के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील निरस्त करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया : 1. यह विधि द्वारा भली-भाँति स्थापित तथा अब निर्विवाद रूप से अभिनिर्धारित सिद्धांत है कि सरकार को यह अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है कि वह यह निर्णय करे कि शैक्षणिक संस्थानों में अथवा उनमें संचालित किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश किन स्रोतों से तथा किस अनुपात में दिया जाएगा। न्यायालय का यह निरंतर तथा प्रामाणिक रूप से स्थापित दृष्टिकोण रहा है कि विशेषकर अति-विशेषज्ञता स्तर पर तथा यहाँ तक कि स्नातकोत्तर स्तर पर भी, तथाकथित "संरक्षणात्मक भेदभाव" के रूप में पिछड़े माने जाने वाले वर्गों के पक्ष में आरक्षण से यथासंभव बचा जाना चाहिए, क्योंकि उसे अनुमेय नहीं माना गया है। इस प्रकरण में यदि सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में व्यवस्था को आरक्षण कहा भी जाए, तब भी उसे अनुच्छेद 15(4) अथवा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत परिकल्पित सामुदायिक आरक्षण के समकक्ष अथवा उसके समान नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसे आरक्षणों के क्रियान्वयन हेतु विकसित विशेष प्रणाली, जिसके अंतर्गत मुक्त प्रतिस्पर्धा में अपनी योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाता, उसे इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। [499-एफ से 499-एच; 500-ए]

तमिलनाडु राज्य बनाम टी. दिलीप कुमार, (1995) 5 स्केल 67, पर भरोसा किया गया।

2.1. यदि यह स्वीकार किया जाए कि सरकार को सेवारत अभ्यर्थियों के विशेष लाभ के लिए पृथक कोटा निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है, तो यह समझ से परे है कि वही सरकार शेष सीटों को गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित क्यों नहीं कर सकती, जिससे सेवारत अभ्यर्थियों के दावे केवल उनके लिए निर्धारित एवं आवंटित सीटों तक सीमित रहें। जब "सेवारत अभ्यर्थियों" का एक पृथक वर्ग बनाया जा सकता है, तब सरकार के लिए यह भी पूर्णतः वैध है कि वह उन सभी अभ्यर्थियों को, जो सेवारत वर्ग में नहीं आते, "गैर-सेवारत अभ्यर्थियों" के रूप में वर्गीकृत करे तथा सेवारत अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित करने के

पश्चात शेष सीटें गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के विशेष लाभ हेतु निर्धारित कर दे। विधि में ऐसा कोई निषेध नहीं है जो सरकार को ऐसी शक्ति के प्रयोग से वंचित करता हो। [501-बी से 501-डी]

2.2. रिट याचिकाकर्ताओं को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि केवल योग्यता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए, जबकि वे स्वयं ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जिसे प्रत्येक विषय में उपलब्ध सीटों का 50 प्रतिशत भाग विशेष रूप से आवंटित किया गया है और जिसे केवल उसी वर्ग के सेवारत अभ्यर्थियों में पारस्परिक योग्यता के आधार पर भरा जाना है, न कि सभी सेवारत एवं गैर-सेवारत अभ्यर्थियों की संयुक्त समग्र योग्यता के आधार पर। रिट याचिकाकर्ताओं ने स्वयं सेवारत अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन किया था। केवल इस कारण कि वे अपने वर्ग के लिए निर्धारित सीटों की संख्या के भीतर पारस्परिक योग्यता के आधार पर चयनित नहीं हो सके, उन्हें बाद में यह तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उन्हें अधिक अंक प्राप्त हुए थे और इसलिए गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के लिए पृथक एवं निश्चित कोटा अथवा सीटों की संख्या निर्धारित करने का औचित्य, विधिक तथा तथ्यात्मक दोनों दृष्टियों से, उसी सिद्धांत में निहित है जिसने सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से निर्धारित एवं आवंटित करने को उचित ठहराया। अपीलकर्ताओं के ऐसे दावे को स्वीकार करना स्वयं सेवारत अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित 50 प्रतिशत सीटों की व्यवस्था को भी संकट में डाल सकता है। [501-डी से 501-एच]

3.1. राज्य सरकार ने अपनी निर्विवाद शक्ति का प्रयोग करते हुए, 1999-2000 शैक्षणिक सत्र के लिए अति-विशेषज्ञता तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में नीति के रूप में एक ऐसी योजना अपनाना उचित समझा, जिसमें अभ्यर्थियों के दो स्रोत निर्धारित किए गए

हैं। यह व्यापक वर्गीकरण दो श्रेणियों, अर्थात् सेवारत अभ्यर्थी तथा गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थी, पर आधारित है। इन दोनों श्रेणियों के लिए कुल सीटों का 50-50 प्रतिशत भाग विशेष रूप से उनके अपने-अपने वर्ग के लिए आवंटित किया गया है तथा प्रवेश हेतु अंतिम चयन संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मध्य पारस्परिक योग्यता के आधार पर किया जाना है। [502-ए से 502-सी]

3.2. मात्र "आरक्षण" शब्द का प्रयोग कर देने से स्वतः ही उस समस्त तंत्र का अनुप्रयोग नहीं हो जाता, जो संविधान में निहित संरक्षणात्मक आरक्षण की अवधारणा के अंतर्गत विशेष रूप से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की उन्नति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। इस अभिव्यक्ति का अर्थ, आशय तथा उद्देश्य उस प्रयोजन और लक्ष्य पर निर्भर करेगा जिसके लिए इसका उपयोग किया गया है। चूँकि आरक्षण के स्वरूप विविध हो सकते हैं तथा उसे विभिन्न उद्देश्यों एवं अनेक प्रयोजनों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार से लागू किया जा सकता है, इसलिए संविधान के अंतर्गत परिकल्पित आरक्षणों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित व्याख्यात्मक सिद्धांतों को, उनके संदर्भ और उद्देश्य की उपेक्षा करते हुए, इस प्रकार के आरक्षण पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में की गई व्यवस्था का उद्देश्य मुख्यतः उन अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना है जो पहले से सेवा में हैं, ताकि वे विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च एवं उन्नत शिक्षा प्राप्त कर अपनी व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि कर सकें और परिणामस्वरूप उन चिकित्सा संस्थानों में, जहाँ उनसे सेवा की अपेक्षा की जाती है, रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त, जहाँ योजना केवल साधारण आरक्षण की न होकर उन स्रोतों के वर्गीकरण पर आधारित हो जिनसे प्रवेश दिया जाना है तथा

उन वर्गीकृत समूहों के लिए पृथक-पृथक कोटा निर्धारित किया गया हो, वहाँ केवल आरक्षण से संबंधित उपबंधों की व्याख्या हेतु समय-समय पर अपनाए गए सिद्धांतों का कोई प्रासंगिक उपयोग नहीं रह जाता। यद्यपि किसी विशेष वर्ग अथवा श्रेणी के पक्ष में कोटा निर्धारित करना सामान्य अर्थ में उस वर्ग के लिए आरक्षण का स्वरूप धारण कर सकता है, तथापि "आरक्षण" और "कोटा निर्धारण" की अवधारणाएँ अपने आशय, विषयवस्तु तथा उद्देश्य की दृष्टि से मूलतः भिन्न हैं। किसी मामले में कोटा निर्धारण को साधारण आरक्षण के समान नहीं माना जा सकता। जब एक अथवा अधिक वर्गीकृत समूहों अथवा श्रेणियों के लिए पृथक कोटा निर्धारित किया जाता है, तब प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपने-अपने लिए निर्धारित कोटे के भीतर ही दावा करना होता है और किसी एक श्रेणी के अभ्यर्थी को दूसरी श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होता। [502-जी से 502-एच; 503-ए से 503-ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1999 की दीवानी अपील संख्या 5760-5761

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील संख्या 952 एवं 955/1999 में दिनांक 1.11.1999 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

साथ में

1999 की दीवानी अपील संख्या 5910, 6995-6996 तथा 1999 की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 562।

के. वी. विश्वनाथन, अतुल कुमार सिन्हा तथा के. वी. वेंकटरामन — अपीलकर्ताओं की ओर से।

एम. ए. कृष्णमूर्ति — उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजू द्वारा दिया गया : उपरोक्त अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा रिट अपील संख्या 929/1999 आदि में दिनांक 1.10.1999 को दिए गए

निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। रिट याचिका (दीवानी) संख्या 562/1999 ऐसे व्यक्ति द्वारा सीधे इस न्यायालय में दायर की गई है जिसकी स्थिति अपीलकर्ताओं के समान है। उक्त याचिका में वही प्रश्न उठाए गए हैं जो इन अपीलों में विचाराधीन हैं तथा साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय की शुद्धता को भी चुनौती दी गई है।

इन अपीलों तथा रिट याचिका में उठाए गए प्रश्नों और पूर्ण पीठ द्वारा निर्णीत मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, संबंधित पक्षकारों द्वारा जिन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया गया था, उनके तथ्यात्मक विवरण, उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या, विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक तथा योग्यता सूची में उनकी पारस्परिक स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यह कहा गया है कि 1999 की दीवानी अपील संख्या 5910 का संबंध प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान में डॉक्टरेट चिकित्सा (डी.एम.) नामक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से है तथा अन्य अपीलों एवं रिट याचिका में संबंधित पाठ्यक्रम अति-विशेषज्ञता पाठ्यक्रम हैं।

तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिनांक 9.2.1999 को सरकारी आदेश संख्या 55 जारी कर 1999-2000 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर उपाधि, दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर उपाधि तथा उच्च विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की। इसके साथ संलग्न अनुलग्नक-1 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/उपाधि/दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों से संबंधित विवरणिका तथा अनुलग्नक-2 में उच्च विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों से संबंधित विवरणिका सम्मिलित थी। उक्त सरकारी आदेश में यह व्यवस्था की गई कि सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में योग्यता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत सीटें निर्धारित की जाएँ तथा यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक विशेषज्ञता में उपलब्ध कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से सेवारत अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएँगी। सरकारी आदेश में विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा अधिकारियों का भी

उल्लेख किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि केवल उन्हीं श्रेणियों के अधिकारी सेवारत अभ्यर्थी माने जाएँगे और उनके लिए विशेष रूप से आवंटित 50 प्रतिशत सीटों पर चयन के लिए विचार किए जाएँगे। शेष 50 प्रतिशत सीटों, जिन्हें मुक्त कोटा कहा गया, के संबंध में चयन का मानदंड निर्धारित करते हुए यह कहा गया कि उपर्युक्त निर्दिष्ट श्रेणियों के चिकित्सा अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी पात्र चिकित्सा अधिकारी उन सीटों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि आदेश की संबंधित कंडिका में वर्णित जिन विषयों के संबंध में 1998-1999 में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, वही प्रक्रिया 1999-2000 में भी अपनाई जाएगी। सेवारत अभ्यर्थियों तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पृथक सीट आवंटन से संबंधित उपर्युक्त व्यवस्थाओं को स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा उच्च विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों की विवरणिकाओं में भी सम्मिलित किया गया। स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संबंध में यह व्यवस्था "चयन एवं प्रवेश की विधि" शीर्षक के अंतर्गत तथा उच्च विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के संबंध में "चयन एवं प्रवेश की विधि" शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित की गई। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने की तिथि, योग्यता सूची के प्रकाशन आदि का कार्यक्रम भी प्रकाशित किया गया। लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित होने तथा चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात अपीलकर्ताओं को यह ज्ञात हुआ कि वे चयनित नहीं हुए हैं। उनके अनुसार इसका कारण शासकीय आदेशों तथा विवरणिका में निहित उन प्रावधानों की विशेष व्याख्या थी, जिनके द्वारा सेवारत तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सीटों का पृथक आवंटन किया गया था। इस व्याख्या के अनुसार मुक्त कोटा के अंतर्गत आवंटित 50 प्रतिशत सीटों को केवल गैर-सेवारत अभ्यर्थियों तक सीमित कर दिया गया तथा अपीलकर्ताओं जैसे सेवारत अभ्यर्थियों के दावों पर केवल उन 50 प्रतिशत सीटों के संबंध में विचार किया गया जो सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित एवं आवंटित थीं।

परिणामस्वरूप, अंकों के आधार पर योग्यता रखने वाले सेवारत अभ्यर्थियों के दावों की उपेक्षा हुई। इसके फलस्वरूप अपीलकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाएँ स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत सीटों की व्यवस्था को लागू करने का सही तरीका यह है कि प्रथम चरण में सेवारत एवं गैर-सेवारत दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त रूप से योग्यता के आधार पर किया जाए तथा उसके बाद सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत सीटें उन सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएँ जो मुक्त कोटा की सीटों पर योग्यता के आधार पर चयन प्राप्त नहीं कर सके। विद्वान न्यायाधीश ने यह तथ्य भी उपेक्षित कर दिया कि दोनों वर्गों का पृथक वर्गीकरण स्पष्ट रूप से किया गया था। उनके मत में "गैर-सेवारत अभ्यर्थी" नामक कोई पृथक वर्ग अस्तित्व में नहीं था और केवल सेवारत अभ्यर्थी ही एक पृथक वर्ग का निर्माण करते थे। विद्वान न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण से संबंधित न्यायिक निर्णयों से प्रेरणा लेते हुए यह भी कहा कि विशेष वर्गों के वे अभ्यर्थी, जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, यदि अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चयन प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें उस वर्ग के आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाना चाहिए, बल्कि उन्हें मुक्त प्रतिस्पर्धा की सीटों पर चयनित माना जाना चाहिए। इस निर्णय से व्यथित होकर कुछ चयनित अभ्यर्थियों, जिन्होंने रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप किया था, ने 1999 की रिट अपील संख्या 905, 906 एवं 918 दायर कीं। किन्तु उन्हें दिनांक 18.6.1999 को प्रवेश स्तर पर ही संक्षेप में निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा दायर 1999 की रिट अपील संख्या 929 तथा 952 से 956 एक अन्य खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आईं। उक्त खंडपीठ स्वयं को पूर्ववर्ती अपीलों के निरस्तीकरण से सहमत नहीं पाई और माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश प्राप्त कर विषय को विचारार्थ एक बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया।

खंडपीठ का मत था कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय सही नहीं था। फलस्वरूप प्रकरण पूर्ण पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलटते हुए रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया।

जिस पूर्ण पीठ के निर्णय को हमारे समक्ष चुनौती दी गई है, उसका मत था कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई व्याख्या, विशेषकर पूर्ववर्ती वर्ष के दिशा-निर्देशों के आधार पर की गई व्याख्या, स्वीकार्य नहीं है। पूर्ण पीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जिन रिट याचिकाकर्ताओं ने विधिवत घोषित लिखित परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, वे स्वयं के असफल पाए जाने के पश्चात उस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते। साथ ही, पूर्ण पीठ ने प्राधिकारियों को भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी ताकि अस्पष्ट कंडिकाओं अथवा संदिग्ध अर्थ एवं आशय वाली भाषा के प्रयोग से बचा जा सके, जिससे अनावश्यक एवं टाली जा सकने वाली वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

अपीलकर्ताओं तथा रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई तर्क-पद्धति का समर्थन करते हुए प्रबल रूप से तर्क दिया कि पूर्ण पीठ द्वारा सरकारी आदेश/विवरणिका की कुछ कंडिकाओं पर की गई व्याख्या विधिसम्मत नहीं है। उनका यह भी कहना था कि आरक्षण नीति को लागू करने की जो पद्धति पूर्ण पीठ ने स्वीकार की है, वह आरक्षण संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन के विषय में न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है और यदि उसे यथावत रहने दिया गया तो वह स्वयं आरक्षण की नीति एवं उसके उद्देश्यों को विफल कर देगी। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पूर्ण पीठ के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सेवा कोटा तथा गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए मुक्त कोटा का जो वर्गीकरण किया गया है, वह संबंधित वर्गों को उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित प्रतिशत तक सीमित रखने के उद्देश्य से

किया गया है। यह वर्गीकरण वैध है तथा उन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, प्रशासन एवं संचालन करने वाले राज्य की शक्तियों के भीतर है। यह भी तर्क दिया गया कि ऐसे कोटा निर्धारण को सामान्यतः किए जाने वाले सामुदायिक अथवा अन्य आरक्षणों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। यह भी प्रतिपादित किया गया कि विधि की दृष्टि से भर्ती अथवा प्रवेश के पृथक स्रोत निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे कि सेवारत अभ्यर्थी तथा गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थी। ये दोनों वर्ग बोधगम्य एवं तर्कसंगत आधारों पर पृथक पहचान रखते हैं तथा उनका वर्गीकरण एक निश्चित उद्देश्य एवं प्रयोजन की पूर्ति के लिए किया गया है।

पक्षकारों के तर्कों पर विचार करने से पूर्व उन कंडिकाओं का उल्लेख करना आवश्यक एवं उपयोगी होगा जिनके संबंध में उच्च न्यायालय में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए गए थे। दिनांक 9.2.1999 का सरकारी आदेश, जो जारी की गई विवरणिका का आधार है तथा जिसमें उद्धृत प्रासंगिक कंडिकाएँ सम्मिलित हैं, निम्नलिखित मानदंड निर्धारित करता है :-

“I. (iii) (क) आरक्षण केवल सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

(ख) प्रत्येक विशेषज्ञता में उपलब्ध सीटों का 50 प्रतिशत भाग विशेष रूप से सेवारत अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा।

(ग) यदि सेवारत अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित सीटों को भरने हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र सेवारत अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियाँ संबंधित आरक्षित वर्गों की योग्यता सूची/प्रतीक्षा सूची से गैर-सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएँगी। यदि इसके पश्चात भी रिक्तियाँ बनी रहें, तो उन्हें विवरणिका में निर्दिष्ट वरीयता क्रम के अनुसार भरा जाएगा।

(घ) केवल निम्नलिखित श्रेणियों के चिकित्सा अधिकारियों को ही सेवारत अभ्यर्थी माना जाएगा तथा सेवारत अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से आवंटित 50 प्रतिशत सीटों पर चयन के लिए विचार किया जाएगा :-

(1) तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तथा नियमित आधार पर तमिलनाडु चिकित्सा सेवा में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने 1.2.1999 तक न्यूनतम दो वर्ष की सतत सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) लोक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत वे चिकित्सा अधिकारी अथवा स्वास्थ्य अधिकारी, जिनका चयन तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया हो तथा जो लोक स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशक के नियंत्रणाधीन कार्यरत हों और जो लोक स्वास्थ्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करते हों। ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में विचार किया जा सकता है, क्योंकि उक्त योग्यता उनकी परिवीक्षा की घोषणा के लिए आवश्यक है। तथापि, सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा में चिकित्सा स्नातकोत्तर उपाधि हेतु सेवा कोटे के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए उन्हें अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की भाँति दो वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी।

(3) वे चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने दो वर्ष की सतत सेवा पूर्ण कर ली हो तथा निम्न संस्थानों में कार्यरत हों :-

(i) तमिलनाडु के स्थानीय निकाय/नगरपालिकाएँ।

(ii) तमिलनाडु स्थित भारत सरकार के संस्थान।

(iii) तमिलनाडु में स्थित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम एवं संगठन।

(iv) तमिलनाडु सरकार के उपक्रम एवं संगठन।

ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित प्राधिकारियों से प्रामाणिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह घोषणा करनी होगी कि पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात वे संबंधित संस्थान में न्यूनतम पाँच वर्ष तक सेवा करेंगे।

(ङ) 50 प्रतिशत मुक्त कोटा के अंतर्गत चयन का मानदंड :

उपरोक्त कंडिका (iii)(घ) में वर्णित चिकित्सा अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी पात्र चिकित्सा अधिकारी 50 प्रतिशत मुक्त कोटा के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे।

(iv) (क) आरक्षण का नियम, अर्थात् मुक्त प्रतियोगिता के लिए 31 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों के लिए 30 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़े वर्गों/अधिसूचना-विलोपित समुदायों के लिए 20 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत, सेवारत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित 50 प्रतिशत सीटों पर तथा प्रत्येक विशेषज्ञता में सेवारत एवं गैर-सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक योग्यता सूची के आधार पर भरी जाने वाली 50 प्रतिशत सीटों पर लागू होगा।

(ख) किसी भी विषय में, जहाँ सीटों की संख्या आठ या उससे अधिक हो, वहाँ आरक्षण का नियम सेवा कोटा तथा मुक्त कोटा दोनों पर लागू होगा।

(v) सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन-पत्र का मूल्य 600 रुपये होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा सचिव, चयन समिति, किलपॉक चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, चेन्नई-600010 के पक्ष में आहरित क्रॉस मांग-प्रारूप के माध्यम से जमा किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, दिनांक 22.9.1998 के सरकारी आदेश संख्या 111, आदि द्रविड़ एवं जनजातीय कल्याण विभाग के अनुसार, 600 रुपये के मांग-प्रारूप के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।"

....

....

6. सरकार यह निर्देश देती है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25 प्रतिशत सीटों का अखिल भारतीय कोटा, केवल चेन्नई में प्रवेश परीक्षा का आयोजन, आवेदन करने की पात्रता के मानदंड, मुक्त कोटा एवं सेवारत अभ्यर्थियों के मध्य 50:50 के आधार पर सीटों का आवंटन, सेवारत अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके लिए आवंटित रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान करना, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक प्रणाली, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता का निर्धारण, प्रत्येक विशेषज्ञता में महाविद्यालयवार एवं पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या का विवरणिका के परिशिष्ट में उल्लेख, छात्रवृत्ति का भुगतान, प्रतिभूति बंधपत्र एवं जमानत बंधपत्र के निष्पादन से संबंधित प्रक्रियाएँ, सभी गैर-सेवारत अभ्यर्थियों से यह लिखित उपबंध प्राप्त करना कि वे देश के भीतर न्यूनतम पाँच वर्ष तक सेवा करेंगे, आवेदन-पत्र एवं संकेत-पत्र का संगणकीकरण, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, चयनित अभ्यर्थियों को यकृतशोथ-बी प्रतिरोधी टीका लगवाना, प्रवेश परीक्षा के आयोजन, आवेदन-पत्रों की जाँच, मूल्यांकन तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रकाशीय चिह्न पाठक प्रणाली लागू करने से संबंधित व्यय का चयन समिति के सचिव द्वारा संधारित व्यक्तिगत जमा खाते से वहन करना आदि सभी प्रक्रियाएँ, जो 1998-99 में अपनाई गई थीं, 1999-2000 शैक्षणिक सत्र में भी अपनाई जाएँगी।

यह विधि द्वारा भली-भाँति स्थापित तथा अब निर्विवाद सिद्धांत है कि सरकार को यह अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है कि वह यह निर्धारित करे कि शैक्षणिक संस्थानों अथवा उनमें संचालित किसी विशेष विषय या पाठ्यक्रम में प्रवेश किन स्रोतों से तथा किस अनुपात में दिया

जाएगा। इस न्यायालय का यह निरंतर तथा प्रामाणिक रूप से स्थापित दृष्टिकोण रहा है कि विशेषकर अति-विशेषज्ञता स्तर पर तथा यहाँ तक कि स्नातकोत्तर स्तर पर भी, तथाकथित “संरक्षणात्मक भेदभाव” के रूप में पिछड़े माने जाने वाले वर्गों के पक्ष में आरक्षण से बचा जाना चाहिए, क्योंकि उसे अनुमेय नहीं माना गया है।

वर्तमान मामले में यदि सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में की गई व्यवस्था को आरक्षण कहा भी जाए, तब भी उसे संविधान के अनुच्छेद 15(4) अथवा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत परिकल्पित सामुदायिक आरक्षण के समान नहीं माना जा सकता। अतः उन आरक्षणों के क्रियान्वयन हेतु विकसित विशेष प्रणाली, जिसके अंतर्गत मुक्त प्रतिस्पर्धा में अपनी योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाता, इस मामले में लागू नहीं की जा सकती। वास्तव में, इन मामलों में हमारा संबंध सेवारत अभ्यर्थियों तथा गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के मध्य प्रवेश हेतु सीटों के कोटा-आधारित आवंटन तथा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के बीच उस आवंटन को व्यवहार में लागू करने की पद्धति से है। यह एक गंभीर प्रश्न हो सकता है कि क्या राज्य सरकार वैध रूप से ऐसी व्यवस्था कर सकती थी जिसके अंतर्गत 50 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर दी जाएँ और साथ ही उन्हें शेष 50 प्रतिशत सीटों पर भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान किया जाए, जबकि गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पर्याप्त संख्या की सीटों पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर सीमित हो जाए। ऐसा ही एक प्रयास मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हुआ था, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1992-93 शैक्षणिक सत्र के लिए सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए एक अतिरिक्त अंक के स्थान पर दो अतिरिक्त अंक प्रदान करना असंवैधानिक है। जब वह मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, तब

तमिलनाडु राज्य बनाम टी. दिलीप कुमार एवं अन्य, (1995) 5 स्केल 67 में उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। इस न्यायालय ने आगे यह भी अवलोकित किया कि सरकार को एक उच्च योग्यताधारी समिति नियुक्त करनी चाहिए, जो प्रत्येक वर्ष उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करे कि वास्तव में सेवारत अभ्यर्थियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता है तथा यदि 50 प्रतिशत का अनुपात उपयुक्त न पाया जाए, तो उसमें कमी की जानी चाहिए।

इन मामलों में प्रवेश चयन को नियंत्रित करने वाले उपबंधों का मूल्यांकन एवं व्याख्या उपर्युक्त घटनाक्रम तथा विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। हमारे विचार में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले में सीटों के आवंटन हेतु कोटा निर्धारण के रूप में की गई व्यवस्था को सामान्य सामुदायिक आरक्षण के समकक्ष मानकर त्रुटि की। वे उन विशेष सिद्धांतों से प्रभावित हो गए जो आरक्षण प्राप्त वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं और उन्हीं सिद्धांतों को वर्तमान मामले जैसे उपबंध की व्याख्या में लागू कर दिया। ऐसी पद्धति उचित नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश की तर्क-पद्धति में एक अन्य त्रुटि यह थी कि उन्होंने यह मान लिया कि "मुक्त कोटा" की सीटें सभी अभ्यर्थियों के लिए खुली होनी चाहिए तथा उन्हें केवल योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए और यहाँ तक कि उस वर्ग के अभ्यर्थियों को भी, जिनके पक्ष में पहले से विशेष कोटा निर्धारित किया गया है, मुक्त कोटा से बाहर नहीं रखा जा सकता। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह दृष्टिकोण न केवल 1999-2000 शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित प्रवेश योजना एवं उसके उद्देश्य की उपेक्षा करता है, बल्कि इसका परिणाम यह भी होता है कि विवरणिका को पुनर्लिखित कर दिया जाए तथा सरकार की उस नीति को निष्प्रभावी कर दिया जाए जिसका उद्देश्य विभिन्न वर्गीकृत श्रेणियों के मध्य समान न्याय एवं समान अवसर उपलब्ध कराना था।

यदि यह स्वीकार किया जाए कि सरकार को सेवारत अभ्यर्थियों के विशेष लाभ के लिए पृथक कोटा निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है, तो यह समझ से परे है कि वही सरकार शेष सीटों को गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्यों नहीं कर सकती, जिससे सेवारत अभ्यर्थियों के दावे केवल उनके लिए निर्धारित एवं आवंटित सीटों तक सीमित रहें। जब सेवारत अभ्यर्थियों का एक पृथक वर्ग बनाया जा सकता है, तब सरकार के लिए यह भी पूर्णतः वैध है कि वह उन सभी व्यक्तियों को, जो इस वर्ग में नहीं आते, गैर-सेवारत अभ्यर्थी के रूप में वर्गीकृत करे तथा सेवारत अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित करने के पश्चात शेष सीटों को गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के विशेष लाभ के लिए निर्धारित कर दे। विधि में ऐसा कोई निषेध नहीं है जो सरकार को ऐसी शक्ति के प्रयोग से वंचित करता हो। न तो सुनवाई के समय हमारे समक्ष ऐसा कोई विधिक अवरोध प्रस्तुत किया गया और न ही ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कोई ऐसा अवरोध प्रस्तुत किया गया था, जो उनके द्वारा अपनाई गई व्याख्या को उचित ठहरा सके। हम यह भी मानते हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं को केवल गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीटों के एक भाग के संबंध में योग्यता-आधारित चयन का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, जबकि वे स्वयं ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जिसे प्रत्येक विषय में उपलब्ध सीटों का 50 प्रतिशत भाग विशेष रूप से आवंटित किया गया है और जिसे केवल उसी वर्ग के सेवारत अभ्यर्थियों के मध्य पारस्परिक योग्यता के आधार पर भरा जाना है, न कि सेवारत एवं गैर-सेवारत सभी अभ्यर्थियों की संयुक्त समग्र योग्यता के आधार पर। यह पाया गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने स्वयं सेवारत अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन किया था। केवल इस कारण कि वे अपने वर्ग के लिए निर्धारित सीटों की संख्या के भीतर पारस्परिक योग्यता के आधार पर चयनित नहीं हो सके, उन्हें बाद में यह तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उन्हें उन अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए थे जो गैर-सेवारत

अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सीटों पर चयनित हुए हैं। हमारे विचार में गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के लिए पृथक एवं निश्चित कोटा अथवा सीटों की संख्या निर्धारित करने का औचित्य, विधिक तथा तथ्यात्मक दोनों दृष्टियों से, उसी सिद्धांत में निहित है जिसने सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से निर्धारित एवं आवंटित करने को उचित ठहराया। अपीलकर्ताओं के ऐसे दावे को स्वीकार करना स्वयं सेवारत अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित 50 प्रतिशत सीटों की व्यवस्था को भी संकट में डाल सकता है।

पूर्ण पीठ के तर्क तथा शासनादेश एवं विवरणिका पर की गई व्याख्या पर विचार करने के उपरांत हमारा मत है कि राज्य सरकार ने अपनी निर्विवाद शक्ति का प्रयोग करते हुए, 1999-2000 शैक्षणिक सत्र के लिए अति-विशिष्टता तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा/उपाधि/चिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में नीति के रूप में अभ्यर्थियों के दो स्रोतों की योजना अपनाई है। यह योजना दो व्यापक वर्गों, अर्थात् सेवारत अभ्यर्थियों तथा गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों, पर आधारित है। दोनों वर्गों के लिए उनकी-अपनी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 50 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से आवंटित की गई हैं तथा अंतिम चयन उनकी अपनी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मध्य पारस्परिक योग्यता के आधार पर होना है। पूर्ण पीठ द्वारा इंगित किए अनुसार, 1998-1999 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “मुक्त प्रतिस्पर्धा” को 1999-2000 में “मुक्त कोटा” से प्रतिस्थापित किया गया। साथ ही, 1998-1999 की विवरणिका की कंडिका 10(5) में यह स्पष्ट उपबंध था कि मुक्त प्रतिस्पर्धा हेतु उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटें सेवारत एवं गैर-सेवारत दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के चयन एवं प्रवेश के लिए उपलब्ध होंगी, किंतु 1999-2000 की योजना एवं विवरणिका में ऐसा कोई उपबंध नहीं रखा गया। इसके अतिरिक्त, “50 प्रतिशत मुक्त कोटा के अंतर्गत चयन के मापदंड” शीर्षक के अंतर्गत शासनादेश एवं विवरणिका में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंडिका 1(iii)(घ) में निर्दिष्ट चिकित्सा पदाधिकारियों (अर्थात् वे चिकित्सा पदाधिकारी

जिन्हें सेवारत अभ्यर्थी माना जाएगा और उसी रूप में आवेदन करने की अनुमति होगी) को छोड़कर अन्य सभी पात्र चिकित्सा पदाधिकारी 50 प्रतिशत मुक्त कोटा के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। ये सभी उपबंध राज्य सरकार एवं चयन समिति के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं तथा उनके द्वारा किए गए प्रवेश-चयन को उचित ठहराते हैं। यह अतिरिक्त उपबंध कि सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा तथा योग्यता के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा, उपर्युक्त अन्य उपबंधों के साथ पढ़े जाने पर यह पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि सेवारत अभ्यर्थियों का चयन कुल सीटों के केवल 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा तथा वे उन अन्य सीटों पर दावा नहीं कर सकते जो विशेष रूप से गैर-सेवारत अथवा निजी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं।

केवल “आरक्षण” शब्द का प्रयोग हो जाने मात्र से यह परिणाम स्वतः नहीं निकलता कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु संविधान में निहित संरक्षात्मक आरक्षण की संपूर्ण प्रणाली स्वतः लागू हो जाएगी। उस अभिव्यक्ति का अर्थ, आशय एवं प्रभाव उस उद्देश्य तथा प्रयोजन पर निर्भर करेगा जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है। चूँकि आरक्षण के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं तथा उसे विभिन्न उद्देश्यों और विविध प्रयोजनों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से लागू किया जा सकता है, इसलिए संविधान द्वारा परिकल्पित आरक्षण की व्याख्या एवं क्रियान्वयन के लिए न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विशेष सिद्धांतों को, संदर्भ से पृथक होकर तथा वर्तमान मामले में किए गए आरक्षण के उद्देश्य की उपेक्षा करते हुए, यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में व्यवस्था का उद्देश्य उन अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना है जो पहले से सेवा में हैं, ताकि वे विशेषीकृत क्षेत्रों में उच्च एवं उन्नत शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपनी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ा

सकें तथा उन चिकित्सीय संस्थानों में रोगियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकें जहाँ उनसे सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ योजना केवल आरक्षण की न होकर प्रवेश के स्रोतों के वर्गीकरण तथा ऐसे वर्गीकृत समूहों के लिए पृथक-पृथक कोटा निर्धारित करने की हो, वहाँ सामान्य आरक्षण संबंधी उपबंधों की व्याख्या में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों का कोई महत्व या प्रयोजन नहीं रह जाता। यद्यपि किसी कोटा का निर्धारण सामान्य अर्थ में उस वर्ग अथवा श्रेणी के पक्ष में आरक्षण का रूप धारण कर सकता है जिसके लिए वह कोटा निर्धारित किया गया है, तथापि आरक्षण और कोटा-निर्धारण की अवधारणाएँ अपने आशय, विषय-वस्तु तथा उद्देश्य की दृष्टि से मूलतः भिन्न हैं। किसी विशेष मामले में कोटा का निर्धारण साधारण आरक्षण के समान नहीं माना जा सकता। जब किसी एक या अधिक वर्गीकृत समूहों अथवा श्रेणियों के लिए पृथक कोटा निर्धारित किया जाता है, तब उन समूहों अथवा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अपने दावे उसी श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे तक सीमित रखने होते हैं। किसी एक श्रेणी का अभ्यर्थी दूसरी श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे पर दावा नहीं कर सकता। चूँकि हमारा मत है कि पूर्ण पीठ ने यह निष्कर्ष सही रूप से निकाला है कि विवादित प्रवेश-चयन योजना में प्रवेश के विभिन्न वर्गीकृत स्रोतों के लिए निश्चित एवं स्थिर कोटा निर्धारित किया गया था, तथा इस निष्कर्ष के समर्थन में दिए गए कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं, इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। अतः ये अपीलें असफल होती हैं और निरस्त की जाती हैं।

उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हमारे लिए प्रतिषेध के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है, जिसके आधार पर भी पूर्ण पीठ ने अपीलकर्ताओं के दावे को अस्वीकार किया था। अपीलों के संबंध में हमारे निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, रिट याचिका भी निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

अपीलें तथा याचिका निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।